दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों सें संबंधित सामान्य जानकारी) सोमवार, 20 जनवरी, 2003 / पौष 30, 1924 (शक)

संख्याः 244

सदस्यों की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित थानाध्यक्ष, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्रप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यो सर्वश्री हरशरण सिंह बल्ली, मोहन सिंह बिष्ट, नन्द किशोर गर्ग, सुशील चौधरी, नरेश गौड़, साहब सिंह चौहान, ब्रह्म सिंह तंवर, रामभज, अविनाश साहनी एवं पूरन चन्द योगी को उनके अन्य समर्थकों के साथ दिनांक 17/01/2003 को अपराहन 1.05 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत टाइम्स ऑफ इण्डिया भवन के पास से नज़र बन्द किया गया ।

उन्हें उनके समर्थकों सिहत उसी दिन अर्थात् दिनांक 17/01/2003 को अपराहन 1.40 बजे, रिहा कर दिया गया ।"

> सिद्धार्थ राव सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Monday 20th January, 2003/ Pausa30, 1924(Saka)

No.: 244

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, IP Estate, New Delhi:

"I have the honour to inform you that S/Shri Harsharan Singh Balli, Mohan Singh Bisht, Nand Kishore Garg, Sushil Chaudhary, Naresh Gaur, Sahab Singh Chauhan, Brahm Singh Tanwar, Ram Bhaj, Avinash Sahni & Puran Chand Yogi Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their supporters were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police near Times of India Building at 1.05 PM on 17/01/2003

They along with their supporters were released at 1.40 P.M. on the same day i.e. 17/01/2003."

SIDDHARTH RAO SECRETARY